HAMIRPUR POLICE

जनपद हमीरपुर दिनांक 05.01.2023

प्रभावी पैरवी कर 02 अभियुक्तों को क्रमशः अधिकतम 4 वर्ष के कठोर करावास व 35,000 रुपये तथा अधिकतम 3 वर्ष के कठोर करावास व 15,000 रुपये के अर्थदंड की सजा दिलाई।

जनपद पुलिस द्वारा नामजद अभियुक्त के विरूद्ध माननीय न्यायालय में की गयी सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कुरारा जनपद हमीरपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 1113/2013 धारा- 354/452/506 IPC व 8 पोक्सो एक्ट में नामजद अभियुक्तगण धर्मेंद्र व आशीष को सजा दिलाई गई। इस अपराध में नामित अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन स्तर पर विवेचना में संपूर्ण साक्ष्यों का गहनता से संकलन किया गया, इसी के परिणाम स्वरूप उक्त अभियोग मे आरोपीगण को दोषी करार देते हुए माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त धर्मेन्द्र पुत्र जयहिन्द को अधिकतम 4 वर्ष के कठोर करावास व 350,00 रुपये के अर्थ दण्ड व अभियुक्त आशीष पुक्ष नारायण दास निवासी बेरी थाना कुरारा जनपद हमीरपुर को अधिकतम 3 वर्ष के कठोर करावास व 150,00 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी।